RNI No. MAHBIL /2012/46121

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग दोन

वर्ष ९, अंक २३ (२)] शुक्रवार, मार्च २२, २०२४/चैत्र २, शके १९४६ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १२.००

असाधारण क्रमांक ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण

(पत्तन प्राधिकरणों को राजस्व व्यय के लिए

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2024

अध्याय I

परिचय

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 की संख्या 1) की धारा 72 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

संक्षिप्त शीर्षक और आवेदन :

1. इन विनियमों को जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (पत्तन प्राधिकरणों को राजस्व व्यय के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2024 कहा जाएगा और वे ऐसी तारीख से लागू होंगे, जिसे केंद्र सरकार **भारत के राजपत्र** में इस संबंध में अधिसूचित करेगी।

अध्याय II

परिभाषाएँ :

2. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) 'अधिनियम' का आशय है ' महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और उसमें किए गए सांविधिक संशोधन।

(2) 'बोर्ड', 'अध्यक्ष', उपाध्यक्ष' और 'विभागाध्यक्षों' का वही आशय होगा जो उनके लिए अधिनियम में क्रमानुसार निर्दिष्ट किया गया है ।

(3) 'सक्षम प्राधिकारी' का आशय वह प्राधिकारी है जिसे इस विनियम के तहत वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित गई है।

(4) "**प्रशासनिक अनुमोदन**" – यह शब्द संबंधित विभाग की आवश्यकताओं के संबंध में किसी भी व्यय के लिए प्रारंभिक योजनाओं के आधार पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति को दर्शाता है।

(5) "**बोली/निविदा की स्वीकृति**" का आशय है किसी प्रस्ताव के सम्बंध में औपचारिक स्वीकृति ; यह प्रापण प्राधिकारी और विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के बीच एक विधिक करार या संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) का गठन करता है,

(6) "**सक्षम प्राधिकारी**"- का आशय इनमें से किसी भी उपबंध या ऐसे अन्य प्राधिकार के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति के संबंध में है , जिसे शक्ति, बोर्ड या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य सामान्य या विशेष आदेश के तहत प्रत्यायोजित की जाती है।

(7) "**आकस्मिक व्यय**"- का आशय है भंडार पर व्यय सहित सभी आकस्मिक और अन्य व्यय, जो किसी कार्यालय के प्रबंधन के लिए, या किसी तकनीकी प्रतिष्ठान, जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक स्थापना, स्टोर डिपो के कामकाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें वह व्यय शामिल नहीं है, जिसे विशेष रूप से व्यय के किसी अन्य निर्दिष्ट शीर्ष, जैसे "कार्य", "उपकरण और संयंत्र" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(8) "**वित्तीय मंजूरी**" - का आशय है एक प्राधिकारी की मंजूरी, जिसे एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, और यह निधियों के विनियोग के अधीन है।

(9) "**वित्त विभाग**"- का आशय है जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण का वित्त विभाग है।

(10) "**वित्तीय वर्ष**" - का आशय है जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष के १ अप्रैल को शुरू होगा और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

(11) "**मंत्रालय**" का आशय है भारत सरकार, पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।

(12) "**विविध व्यय**" का आशय है जवाहरलाल नेहरू पत्तन के कर्मचारियों और प्रतिनियुक्त अधिकारियों के वेतन और भत्ते, अवकाश वेतन, पेंशन, आकस्मिकताओं, सहायता अनुदान, अंशदान , कार्य, स्टॉक, उपकरण और संयंत्र तथा उस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यय के अतिरिक्त सभी व्यय है।

(13) "**आवर्ती व्यय**"- का आशय उस व्यय से है जो एक ही प्रयोजन हेतु आवधिक अंतराल पर किया जाता है।

(14) "**गैर-आवर्ती व्यय**"- का आशय है आवर्ती व्यय के अलावा अन्य व्यय, अर्थात एकमुश्त प्रभार के रूप में संस्वीकृत व्यय, चाहे धन का भुगतान एकमुश्त किया जाए या किश्तों में किया जाए।

(15) "**नई योजना**" एक ऐसी योजना है जो सतत योजना नहीं है।

(16) "**तकनीकी मंजूरी**" - सक्षम अभियांत्रिकी प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट डिजाइन, योजनाओं, विनिर्देशों और मात्राओं का अनुमोदन है, जो किसी भी कार्य (छोटे कार्यों, छोटी मरम्मत के अलावा, और अन्य मरम्मत संबंधी कार्यों जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा एकमुश्त प्रावधान संस्वीकृत किया गया है) के लिए इसके प्रारंभ होने से पहले दिया जाना आवश्यक है।

अध्याय III

क्र. सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रस्तावित
1	बोर्ड या केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता वाले कार्य	**बोर्ड : पूर्ण शक्तियाँ** अध्यक्षः रु. **10** करोड़ उपाध्यक्षः रु. **5** करोड़ विभागाध्यक्षः रु. **1** करोड़. **टिप्पणी :** (i) प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि निविदाओं का मूल्यांकन/जांच अधिकारियों की एक विधिवत गठित निविदा समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें पोर्ट ट्रस्ट के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफए और सीएओ) अन्य सदस्यों में से एक होंगे। (ii) वित्तीय सीमाएँ कार्य की कुल मात्रा के संदर्भ में हैं और अनुमोदित योजना का हिस्सा हैं।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के पत्तन प्राधिकारियों को राजस्व व्यय संस्वीकृत करने के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन इस प्रकार है :

टिप्पणियाँ :

1. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/ परिपत्रों/ अनुदेशों / नीतियां / नियमों / प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाएगा एव यह अध्यक्ष और बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

2. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के लिए शक्तियों के उपरोक्त प्रत्यायोजन की किसी भी असंगतता के मामले में, अधिनियम/नियम/विनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

3. शक्तियों का प्रत्यायोजन, राजस्व व्यय और महापत्तनों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के व्यय को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

4. नई परियोजनाओं/कार्यों और प्रतिस्थापन-कार्यों के बीच कोई अंतर नहीं है।

5. राजस्व व्यय उपबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट में उपलब्ध होगा।

6. यह शक्तियों का प्रत्यायोजन पहले के शक्तियों का प्रत्यायोजन और उसमें किये गये संशोधनों का अधिक्रमण करता है।

7. शक्तियों का प्रत्यायोजन **केंद्र सरकार के राजपत्र** में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

8. यदि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई विनियम लागू है और उनका पालन किया जाना है।

9. शक्ति के प्रत्यायोजन का निर्वहन करते समय सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) के अनुसार नियमों और प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

मनिषा जाधव,
महाप्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव ।

JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY'S
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR REVENUE EXPENDITURE TO PORT AUTHORITIES REGULATIONS, 2024

CHAPTER I

INTRODUCTION

In exercise of the powers conferred under Section 72 of Major Port Authorities Act, 2021 (No. 1 of 2021), the Board of Major Port Authority for the Jawaharlal Nehru Port hereby makes following regulations, namely :-

SHORT TITLE AND APPLICATION :

1. These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Authority's Delegation of Financial Powers for Revenue Expenditure to Port Authorities Regulations, 2024 and they shall be applicable from such date as the Central Government shall notify in that behalf in the *Gazette of India.*

CHAPTER II

DEFINITIONS :

2. In these regulations, unless the context otherwise requires.—

(1) 'ACT' means the 'MAJOR PORT AUTHORITIES ACT, 2021 and statutory amendments thereto.

(2) 'Board', 'Chairman', Deputy Chairman' and 'Heads of Departments' shall have the same meaning as respectively assigned to them in the ACT.

(3) 'COMPETENT AUTHORITY' means the authority to which a financial power has been delegated under this Regulation.

(4) **"ADMINISTRATIVE APPROVAL" –** This term denotes the formal acceptance by the competent authority of JNPA based on preliminary plans for incurring any expenditure in connection with the requirements of concerned department.

(5) **"Acceptance of bid / tender"–** means a formal **acceptance** of an offer; it constitutes a legal agreement or contract between the procuring authority and vendor/ supplier;

(6) **"Competent Authority"-** means, in respect of the power to be exercised under any of these provisions or such other authority to which the power is delegated by or under the or any other general or special orders issued by the Board or Government.

(7) **"Contingent Expenditure"-** means all incidental and other expenditure including expenditure on stores, which is incurred for management of an office, or for the working of a technical establishment, such as laboratory, workshop, industrial installation, store depot but does not include any expenditure which has been specifically classified as falling under some other detailed head of expenditure, such as "Works", "Tools and Plant".

(8) **"Financial sanction" -** means the sanction of an authority to which power has been delegated, to expenditure for a specified purpose, and is subject to appropriation of funds.

(9) **"Finance Department"** means the Finance Department of the JNPA.

(10) **"Financial year" -** Financial year of the JNPA shall commence on the 1st day of April of each year and end on the 31st day of March of the following year.

(11) **"Ministry"** means the Government of India, Ministry of Ports, shipping and waterways.

(12) **"Miscellaneous Expenditure"** means all expenditure other than expenditure falling under the category of pay and allowances of JNP employees and deputed officials, leave salary, pension, contingencies, grantsin-aid, contributions, works, stock, tools and plant and the like.

(13) **"Recurring expenditure"-** means the expenditure which is incurred at periodical intervals for the same purpose.

(14) **"Non-recurring expenditure"-** means expenditure other than recurring expenditure, i. e. expenditure sanctioned as a lump sum charge, whether the money be paid as a lump sum or by instalments.

(15) "**New Scheme"** is a Scheme which is not a Continuing Scheme.

(16) **"Technical sanction" -** is the approval to the detailed designs, plans, specifications and quantities by the competent Engineering authority, which is required to be given to any work (other than petty works, petty repairs, and other repairs for which a lump sum provision has been sanctioned by the Competent Authority) before its commencement.

CHAPTER III

SI. No.	Nature of Power	Proposed
1	Works requiring Sanction of Board or Central Government	**Board : Full Powers** Chairman : Rs.10 Crs. Dy. Chairman : Rs. 5 Crs HOD : Rs.1 Cr. *Note.—* (i) The exercise of the delegated power will be subject to the condition that the tenders will be evaluated/ scrutinized by a duty constituted Tender Committee of officers of which FA&CAO of the Port Trust shall be one of the members. (ii) The financial limits are with reference to the total size of the work and is part of the scheme approved.

The delegation of Financial Powers to sanction Revenue Expenditure to Port Authorities of JNPA are as follows :

Notes :

1. The power shall be exercised keeping in view the orders /circulars/instructions/issued from time to time by the Govt./policies/rules/procedures subject to general supervision of Chairperson and Board.

2. In case of any inconsistency of the above delegation of powers to the Major Port Authorities Act or rules/regulations made thereunder, the provisions of the Act/Rules/Regulations shall prevail.

3. DOP is prepared considering Revenue Expenditure and various types of expenditure incurred by the Major Ports.

4. There is no distinction between new projects/works and replacement works.

5. The revenue expenditure provision shall be available in the Budget approved by the Board.

6. This DOP supersedes the earlier DOPs and amendments thereon.

7. The DOP will come into force from the date it is published in *Central Government Gazette*.

8. Regulation if any issued by the Central Govt. are applicable and are to be followed.

9. While discharging the delegation of power, the rules and procedure as per GFR are to be followed.

MANISHA JADHAV,
General Manager (Admin.) and Secy.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.